:: नियमावली ::

1- संस्था का नाम - माँ भगवती विद्या मंदिर शिक्षा समिति विधिपुरी (मानई) अलीगढ़ (उ.प्र.)

2- संस्था का पता - ग्राम विधिपुरी (मानई) जनपद- अलीगढ़ (उ.प्र.) -

3- संस्था का कार्यक्षेत्र - समस्त उत्तर प्रदेश -

4- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के भेद :-

(अ) आजीवन सदस्य :-

जो व्यक्ति/सदस्य इस संस्था को 2500/- रुपया नगद एवं एक बार में अथवा इतने ही मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति स्वयं अदा करेगा । वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

(ब) विशेष सम्मानित सदस्य :-

जो व्यक्ति/सदस्य एवं महिला सदस्य एक बार में एक मुश्त 501/- रुपया निःस्वार्थ भाव से अथवा इतने ही मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति देने तथा संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों में आस्था रखते हों संस्था के विशेष सम्मानित सदस्य बनाये जायेंगे ।

(स) साधारण सदस्य :-

जो व्यक्ति/सदस्य इस संस्था को 101/- रुपया शुल्क प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को अदा करेंगे वह संस्था के साधारण सदस्य होंगे इन सदस्यों को प्रतिवर्ष अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा । किन्तु इन सदस्यों को अपने ही श्रेणी के सदस्यों को चुनने का अधिकार होगा ।

5- सदस्यता की समाप्ति :-

(1) मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, और दिवालिया हो जाने पर ।

(2) स्थाई संक्रामक रोग से पीड़ित होने पर ।

(3) संस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य करने पर।

सत्य-प्रतिलिपि

--2पर

(4) सदस्यता शुल्क नियमानुसार न देने पर ।

(5) 21 वर्ष से कम उम्र होने पर ।

(6) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्टीकरण के अनुपस्थित रहने पर ।

संस्था के अंग :- संस्था के दो अंग

(अ) साधारण सभा ।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

साधारण सभा :-

गठन - संस्था के समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

बैठकें - साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी एवं विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि - साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को दी जायेगी ।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । स्थगित बैठक के लिये कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि - साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा तय की जायेगी ।

साधारण सभा के कर्तव्य -

1- प्रतिवर्ष के लिये प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।

2- संस्था के आय व्यय के लिये विवरण तय करना [illegible] प्रस्ताव पारित करना ।

वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा [illegible]

--3--

...दयाल पाठक

सुल्तान सिंह

...क कुमार

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

[illegible]

11.08